उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक:...868......अधि0निदे0(मा0स0)/उपाकालि/ S-II(Medical) दिनांक:...21/02/2026

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा **"कनिष्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून"** को उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स, जो कि उत्तराखण्ड से पेंशन आहरित कर रहे है तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों/सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्य/पारिवारिक पेंशनर्स को **केवल आन्तरिक रोगी के रूप में भर्ती होकर** कराये गये चिकित्सा/उपचार पर हुये व्यय की स्वीकृति हेतु **कैश–लैश की सुविधा के अन्तर्गत** तथा कारपोरेशन नियमानुसार आन्तरिक एवं वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराये जाने पर हुये व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन की मान्यता निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1– चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 2088–एनजी/11/एसईबी0(चतुर्थ)–29–एनजी–11/78 दिनांक 24–05–78 एवं कारपोरेशन आदेश सं0–5731/निदे0(मा0सं0)उपाकालि/अनु0–का0 –ई/एम–1, दिनॉक 22–08–06 एवं समय–समय पर जारी एतद्विषयक प्रभावी आदेशों में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों/शर्तो के आधीन अनुमन्य होगी।

2– उक्त चिकित्सालय **सी0जी0एच0एस0** की दरों पर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करेगा।

3– उक्त चिकित्सालय की मान्यता अवधि इस आदेश के जारी होने की तिथि से **दिनांक 31.03.2027** तक की अवधि के लिए मान्य होगी ।

4– उक्त चिकित्सालय अपने परिसर में एक साईन बोर्ड लगायेगा जो यह दर्शाएगा :–
"उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनपर पूर्णतया आश्रित अर्ह सदस्यों तथा कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त उनके अर्ह पारिवारिक सदस्यों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के सभी पेंशनर्स के लिए अधिकृत चिकित्सालय"

5– चिकित्सालय द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें निम्न प्रविष्टियां अनिवार्यतः की जायेंगी :–

(1) रोगी का नाम, आयु एवं लिंग ।
(2) यदि रोगी स्वयं कर्मचारी/अधिकारी नहीं है, तो उसके पिता/पति का नाम और रोगी से सम्बन्ध। (केवल पूर्णतया आश्रित होने की स्थिति में)
(3) चिकित्सालय मे भर्ती एवं डिस्चार्ज की तिथि
(4) कर्मचारी का वेतनमान तथा तैनाती स्थान ।
(5) रोग का विवरण ।
(6) कुल प्राप्त की गयी राशि ।
(7) निगम अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

उक्त रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी ।

6– प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित–प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये चिकित्सा–बीजकों के भुगतान की प्रकिया यथावत रहेगी।

कमशः–......2

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाषः 91–135–2763901 फैक्सः 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771

13

7– उपाकालि में लागू नियमों/प्राविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

8– केडिट सुविधा के अन्तर्गत रोग से सम्बन्धित उपचार हेतु सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक/उस पर आश्रित रोगी कारपोरेशन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार हेतु निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्राधिकार पत्र(Authorisation Slip) नियंत्रक/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर चिकित्सालय में प्रस्तुत करेंगें।

9– प्राधिकार पत्र(Authorisation Slip) के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्र जैसे उपाकालि का पहचान पत्र, सेवानिवृत्त कार्मिक का पेंशन भुगतान आदेश(P.P.O.) की छायाप्रति/सेवारत कार्मिक की वेतन पर्ची, आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण पत्र एवं पुत्र/पुत्री(केवल 25 वर्ष तक) का आयु प्रमाण–पत्र तथा आश्रित माता–पिता के सम्बन्ध में कार्मिक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (Affidavite)(आदेश सं0–885/डब्लू0सी0/राविप/औस–19–11–4एफ/86 दि0 27.04.1994 एवं आश्रित सम्बन्धी समस्त आदेशों के प्रतिबन्धाधीन एवं निर्धारित शर्तों के तहत) भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10– प्राधिकार पत्र(Authorisation Slip) निर्गत करने वाले नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण अनिवार्यता प्रमाण–पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा।

11– इलाज पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र एवं प्राधिकार पत्र पर कार्मिक/रोगी के फोटो हस्ताक्षरों सहित एवं समस्त बीजकों का अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन के उपरान्त सभी आवश्यक प्रपत्रों एवं सत्यापित बीजकों के साथ कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– अस्पताल प्रबन्धन यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलाज के बीजक में अदेय सामग्री जैसे–विटामिन्स, टॉनिक, थर्मामीटर, डाइपर, food nutritive values, items of toiletory, disinfectants and diet charges आदि बीजकों में सम्मिलित नहीं किये जायेगें, आवश्यकता पडने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मँगायी जा सकती है।

13– उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी को आवश्यकता होने पर अधिकतम 15 दिनों की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेंगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।

14– सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा बीजकों के प्राप्त होने पर वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय/मुख्यालय द्वारा चिकित्सालय को भुगतान किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 868 अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-II(Medical) तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित : –

1. स्टॉफ ऑफिसर–I, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, निदेशक(परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. स्टॉफ आफिसर–I, अधिशासी निदेशक(मा0सं0), उपाकालि, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, उपाकालि,.....।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि,.....।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उपाकालि, ...।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि,.....।
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), उपाकालि, वि0कॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
9. मुख्यालय के समस्त अनुभाग ।
10. कट फाइल/मेडिकल कट फाइल।
11. कनिष्क सर्जिकल एण्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून, रिसप्ना पुल व रेलवे कॉसिंग के मध्य, मेन हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)